



2026:AHC:170982

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27082 / 2026

नेहा निषाद

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	रतन कुमार भारद्वाज, ऋषभ शुक्ला
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- यद्यपि, वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संबंधित न्यायालय द्वारा पारित जमानत अस्वीकृति आदेश की मुफ्त प्रतिलिपि संलग्न नहीं की गई है, किन्तु इस संबंध में आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जा रही है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रतन कुमार भारद्वाज और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री आर.एन. श्रीवास्तव को सुना।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 244/2026 अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 103(1), 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. (संबंधित धारा 147, 148, 149, 307, 302, 323, 504, 507 आई.पी.सी.), पुलिस स्टेशन - रामगढ़ ताल, जिला - गोरखपुर में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक महिला है और झूठे और सामान्य आरोपों के आधार पर उसे उसकी मां सहित छः अन्य लोगों के साथ अभियुक्त बनाया गया है। सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद, आवेदक की मां अर्थात् सह-अभियुक्त रमावती को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25850/2026 में पारित विस्तृत आदेश दिनांक 28.07.2026 के अनुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला भी उसके समान है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 30.04.2026 से जेल/कारागार में है।
6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।
8. हालांकि, आवेदक का नाम एफआईआर में उसकी मां अर्थात् सह-अभियुक्त रमावती सहित अन्य लोगों के साथ दर्ज है, किन्तु दिनांकित एक विस्तृत आदेश में यह स्पष्ट है कि सह-अभियुक्त रमावती को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान ही है।
9. इसके अतिरिक्त, आवेदक महिला है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 30.04.2026 से जेल/कारागार में है।
10. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने की पात्र है।
11. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **नेहा निषाद** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगी।

13. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अगस्त 13, 2026

शाहरोज

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।